

भारत  सरकार

कार्यालय

आयकर आयुक्त

16, मूल टावर, उदयपुर

GOVERNMENT OF INDIA

Office of The

Commissioner of Income Tax

Udaipur

विषय :- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अधीन
न्यास/संस्था का पंजीकरण -

माँ भगवती विकास संस्थान, उदयपुर

प्रार्थी जो न्यास विलेख/मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन दिनांक 03.01.2005 के अधीन गठित है, ने निर्धारित प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा - 12एए के अधीन पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2006 को प्रस्तुत किया है।

~~यह प्रार्थना पत्र निर्धारित सम्भावधि में है।~~

यह प्रार्थना पत्र निर्धारित समय के विलम्ब से होने पर मयाद बाहर था। न्यास/संस्था द्वारा प्रार्थना पत्र के देरी माफी का आवेदन नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थी संस्था का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा -12एए के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी होगा।

प्रार्थना पत्र को धारा -12एए के अन्तर्गत इस कार्यालय के प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर संख्या 77/13 पर दर्ज कर लिया गया है।



हो
(एम0 एस0 मीना)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

क्रमांक: आ.आ./उदय/न्यायिक/12एए/2005-06/१२५

दिनांक : 18.09.2006

1. माँ भगवती विकास संस्थान, उदयपुर
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-2(1), उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि इस मामले में वह प्रार्थी के दावे को आयकर अधिनियम की धारा - 11 और 80 जी के तहत मान्यता/अमान्यता के सम्बन्ध में अलग से जांच करें, क्योंकि धारा -12एए के अधीन पंजीकरण देने से ही कोई मामला अपने - आप धारा -11 और 80 जी के तहत छूट का हकदार (मान्य) नहीं हो जाता है।
3. अपर आयकर आयुक्त, रेंज-2, उदयपुर

(सी.पी.) शर्मा

आयकर अधिकारी (तक)
कृते आयकर आयुक्त, उदयपुर